मु0न0 127/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांक– 07.10.2022

मु0न0 127/2022

पीठासीन अधिकारी:– पूजा मीना आरएएस

उनवान

1. इख्तार पुत्र बुन्दू
2. इमाम पुत्र बुन्दू
3. जब्बार पुत्र बुन्दू
समस्त जातियान मुसलमान निवासी बालघाट तहसील टोडाभीम।

(सायलान)

बनाम

1. आसीन खान कायम खानी पुत्र सत्तार
2. मुबीन खान पुत्र सत्तार
3. रईला बानो पत्नि सत्तार
4. सितारा बानो पुत्री सत्तार
समस्त जातियान बालघाट निवासीयान बालघाट तहसील टोडाभीम।
5. तहसीलदार टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री जाकिर खॉन एडवोकेट सायलान
श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट गैरसायलान 1 ता 4

निर्णय दिनांक 24.10.2024

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस ...है कि ग्राम बालघाट की आराजी ख0न0 481 रकबा 0.11 है0 मे सायलान व उनकी माँ ... नूरजहां पत्नि बुन्दू एवं अप्रार्थीगण न0 1 ता 4 के नाम दर्ज है। जिसमे सायलान न0 1 ... 3 प्रत्येक का हिस्सा 1/5 खातेदारी मे दर्ज है। एवं सायलान की माँ नूरजहा की मृत्यु हो ... है तथा नूरजहा के हिस्से 1/30 के वारिसान सायलान है। इस प्रकार सायलान का ...र्ण हिस्सा 4/5 है तथा सायलान अपने हिस्से व कब्जे की आराजी ख0न0 481 मे अपने ...5 रकबे 0.0880 है0 पर सायलान काबिज है। शेष आराजी गैरसायलान न0 1 ता 4 की है गैरसायलान अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/5 कुल रकबा 0.0220 है0 है, पर काबिज है।

यह है कि सायलान मजदूरी के कारण अधिकांशतः बाहर रहते है। तथा ...सायलान के हिस्से की भूमि को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है। तथा सायलान के ... व हिस्से की आराजी को जबरदस्ती हड़पना चाहते है। इसलिये सायलान ने दिनांक 04. ...022 को गैरसायलान को कहा कि उक्त जमीन आबादी के समीप है इसलिये तहसील से ...र बटवारा करा लेते है। तो इस बात पर गैरसायलान नाराज हो गये। तथा बटवारा ... से साफ इन्कार कर दिया। तथा सायलान को उनके कब्जे व काश्त की भूमि पर ...त करने की धमकी दी। तथा बटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया। ... ...लान को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह है कि सायलान खाना 481 रकबा 0.11 ... 4/5 कुल हिस्सा 4/5 कुल सायलान का ... नालिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तथा अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। ऐसी परिस्थितियो मे प्राईमाफेसी केस सायलान के पक्ष मे बखूबी साबित है। तथा सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष मे [illegible] है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान न0 1 ता 4 को पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान या तो स्वंय और नाही दीगर व्यक्तियो को [illegible] से आराजी पर सायलान के प्रत्येक का हिस्सा 1/5 1/15 4/15 कुल हिस्सा 4/5 [illegible] रकबा सायलान 0.0880 है0 जो कि भूमि ख0न0 481 के कब्जे काश्त मे मजाहमत दखलत नही करे एवं सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने दे एवं रिकार्ड व मौके अनुसार [illegible] हुये बिना किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय नही करे। ना तो ऐसा काम स्वंय करे [illegible] नाही किसी अन्य से करावे, तथा रिकार्ड व मौके की स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। [illegible] सायल न0 5 तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, गैरसायल न0 1 ता 4 की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने जबाब पेश किया कि सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है, वर्णित आराजी ख0न0 481 रकबा 0.11 है0 पर सायलान का कब्जा नही है बल्कि गैरसायलान काबिज एवं दखील चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी मे सायलान ने अपने सम्पूर्ण हिस्से को गैरसायल न0 3 के पति व गैरसायल न0 1,2,3 के पिता सत्तार को आज से करीब 35–40 वर्ष पूर्व 1,50,000/– मे विक्रय कर दिया तथा उक्त आराजी मे 2 गह पाटौर पोश को भी 15,000 मे विक्रय कर गैरसायल न0 1 गंगापुर चला गया गैरसायल न0 2 व 3 जयपुर चले गये जो कभी भी बालघाट नही आये, लेकिन उक्त भूमि वर्तमान मे आबादी के मध्य आ जाने से व भूमि रिकार्ड मे शामलाती खातेदारी होने से सायलान मे मन मे बेईमानी आ गई और सायलान जबरन गैरसायलान का हैरान परेशान करना शुरू कर दिया। सायलान द्वारा वर्णित आराजी पर कब्जा नही होने से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कब्जे के अभाव मे खारिज किया जावे।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ख0न0 481/0.11 है0 की सम्पूर्ण भूमि पर गैरसायलान न0 1 ता 4 मौके पर काबिज एवं दखील है। वर्णित आराजीयात मे गैरसायलान न0 1 ता 4 द्वारा 2 गह पाटौर पोश मे अपनी रिहायश कर रखी है तथा सायलान द्वारा आज से करीब 35–40 वर्ष पूर्व अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी को गैरसायल न0 3 के पति गैरसायल न0 1 व 2 व गैरसायल न0 4 के पिता सत्तार को 1,50,000/–मे मौखिक रूप से विक्रय कर ग्राम बालघाट छोडकर गैरसायल न0 1 गंगापुर तथा गैरसायल न0 2 व 3 जयपुर चले गये। चुकि सायलान परिवानजन थे इसलिये उक्त वादग्रस्त आराजी की विक्रय के संबध मे कोई लिखा पढी नही की गई। गैरसायल न0 1, 2, 4 की दादी नूरजहॉं गैरसायलान के पास ही रहती थी और गैरसायलान ही द्वारा नूरजहा की सेवा की गई इसलिये नूरजहॉं के हिस्से पर भी गैरसायल न0 1 ता 4 का कब्जा चला आ रहा है इस प्रकार सायलान लोग टर्मस एण्ड पजेशन के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायलान [illegible]कार फरमाया जाकर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पावन्द फरमाया जावे कि सायलान गैरसायलान के कब्जे एवं उपयोग उपभोग मे महाहमत मदाखलत नही करे तथा सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायलान [illegible] ने [illegible] वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि आराजी [illegible] मे सायलान व उनकी मॉ नूरजहां पत्नि बुन्दू एवं अप्रार्थीगण न0 1 ता 4 के नाम दर्ज है। जिसमे सायलान

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

न0 1 ता 3 प्रत्येक का हिस्सा 1/5 खातेदारी मे दर्ज है, नूरजहा की मृत्यु हो चुकी है, नूरजहा के हिस्से 1/5 के वारिसान सायलान है। इस प्रकार सायलान का सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 है, शेष आराजी गैरसायलान न0 1 ता 4 की है तथा गैरसायलान अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/5 पर काबिज है, गैरसायलान के हिस्से की भूमि को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है। तथा सायलान के कब्जे व हिस्से की आराजी को जबरदस्ती हड़पना चाहते है। सायलान ख0न0 481 रकवा 0.11 है0 मे प्रत्येक का हिस्सा 1/15 + 1/15 = 4/15 कुल हिस्सा 1/5 कुल सायलान का रकवा 0.0880 है0 के खातेदार मालिक है तथा अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। ऐसी परिस्थितियो मे प्राईमाफेसी केस सायलान के पक्ष मे बखूबी साबित है। तथा सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष मे साबित है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाकर गैरसायलान 1 ता 4 को पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान सायलान के प्रत्येक का हिस्सा 1/15 + 1/15 = 4/15 कुल हिस्सा 4/5 कुल रकवा सायलान 0.0880 है0 के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायलान ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है, आराजी ख0न0 481 रकवा 0.11 है0 पर सायलान का कब्जा नही है बल्कि गैरसायलान काबिज एवं दखील चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी को सायलान ने अपने सम्पूर्ण हिस्से को गैरसायल न0 3 के पति व गैरसायल न0 1,2,3 के पिता सत्तार को आज से करीब 35–40 वर्ष पूर्व 50000/– मे विक्रय कर दिया तथा उक्त आराजी मे 2 गह पाटौर पोश को भी 15000 मे विक्रय कर गैरसायल न0 1 गंगापुर चला गया गैरसायल न0 2 व 3 जयपुर चले गये जो कभी भी बालघाट नही आये लेकिन उक्त भूमि वर्तमान मे आबादी के मध्य आ जाने से व भूमि रिकार्ड मे शामलाती खातेदारी होने से सायलान मे मन मे बेईमानी आ गई और सायलान ने बरन गैरसायलान को हैरान परेशान करना शुरू कर दिया। काउन्टर जबाब पेश कर निवेदन कि ख0न0 481/0.11 है0 की सम्पूर्ण भूमि पर गैरसायलान न0 1 ता 4 मौके पर काबिज एवं दखील है। वर्णित आराजीयात पर गैरसायलान न0 1 ता 4 द्वारा 2 गह पाटौर पोश मे अपनी रिहायश कर रखी है तथा सायलान द्वारा आज से करीब 35–40 वर्ष पूर्व अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी को गैरसायल न0 3 के पति गैरसायल न0 1 व 2 व गैरसायल न0 4 के पिता सत्तार को 1,50,000/–मे मौखिक रूप से विक्रय कर ग्राम बालघाट छोडकर गैरसायल न0 1 गंगापुर तथा गैरसायल न0 2 व 3 जयपुर चले गये, चुकि सायलान परिवारजन थे इसलिये उक्त वादग्रस्त आराजी की विक्रय के संबध मे कोई लिखा पढी नही की गई। गैरसायल न0 1, 2, 4 की दादी नूरजहॉ गैरसायलान के पास ही रहती थी और गैरसायलान द्वारा नूरजहा की सेवा की गई इसलिये नूरजहॉ के हिस्से पर भी गैरसायल न0 1 ता 4 का कब्जा चला आ रहा है इस प्रकार गैरसायलान लोग टर्मस एण्ड पजेशन के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायलान स्वीकार फरमाया जाकर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि सायलान गैरसायलान के कब्जे एवं उपयोग उपभोग मे महाहमत मदाखलत नही करे तथा सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। [illegible] का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए [illegible] को निम्न बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण:—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम बालघाट की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 मे वर्णित ख0न0 481/0.11 है0 मे सायल न0 1 ता 3 व उनकी मॉ प्रत्येक 1/5—1/5 हिस्से के खातेदार तथा गैरसायल न0 1 ता 4 प्रत्येक 1/20—1/20 हिससे के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायलान वकील ने बहस मे कथन किया है कि सायलान का कब्जा काश्त है लेकिन सायलान के कब्जे के संबध मे पत्रावली मे कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किये है। इसी अनुसार गैरसायलान ने जबाव व बहस मे कथन किया है कि सायलान के पिता सत्तार ने अपने हिस्से की भूमि का विक्रय कर दिया है लेकिन गैरसायलान ने पत्रावली मे विक्रय के संबध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। इसलिये प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान व गैरसायलान के हक मे साबित नही है। सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है।
2. **सुविधा का संतुलन:—** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायला व गैरसायलान के पक्ष मे साबित नही होने से सुविधा का संतुलन सायलान व गैरसायलान के पक्ष मे साबित नही है।
3. **अपूर्तनीय क्षति:—** **प्रार्थना पत्र मे** वर्णित आराजीयात मे यदि सायलान व गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो उभयपक्षकरान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः उक्त तीनो बिन्दु सायलान व गैरसायलान के पक्ष मे साबित नही होने से सायला का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तथा गैरसायलान का जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner